



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 366 राँची, बुधवार, 4 ज्येष्ठ, 1938 (श०)
25 मई, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

25 मई, 2016

संख्या-एल०जी०-12/2016-103/लेज०-- झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक-11 मई, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016

(झारखण्ड अधिनियम-17,2016)

प्रस्तावना

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योजना एवं कार्यान्वयन, अनुश्रवण (प्रबोधन) तथा मूल्यांकन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, परामर्श और निधिकरण हेतु उपयुक्त प्रावधान के लिए अधिनियम।

चूँकि यह समयोचित है कि सरकार, विश्वविद्यालयों, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के बीच सामूहिक सहक्रियात्मक संबंध स्थापित करने हेतु सरकार और विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों एवं उच्च स्तरीय नियामक संस्थाओं के मध्य परिचालनात्मक अंतराल के साथ (i) सरकार के नीति-निर्माण एवं सापेक्ष योजनाओं में अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने, (ii) राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य स्वायत्तता, जवाबदेही और समन्वयन को सुनिश्चित करने, और (iii) राज्य की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के मैत्रीपूर्ण विकास को निर्देशित करने के उद्देश्य से राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाय।

भारतीय गणराज्य के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

- i. यह अधिनियम झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
- ii. इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।
- iii. यह राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषा - अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित/आवश्यक हो:-

- i. 'संबद्ध संस्थान' से आशय है जैसे संस्थान जो अपने शासी निकाय के द्वारा संचालित व नियंत्रित हों।
- ii. 'ए आई एस एच ई' से आशय है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा से संबद्ध अखिल भारतीय सर्वेक्षण) जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर की गई है।
- iii. 'शीर्ष नियामक संस्थान' का अर्थ है नियामक संस्था जिसे संसद के अधिनियम द्वारा विशिष्ट प्रकृति की संस्थाओं के अभिशासन हेतु गठित किया गया हो।
- iv. 'अध्यक्ष' का आशय वह व्यक्ति है जिसे राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अधिनियम के आधार पर नियुक्त किया गया हो।
- v. 'परिषद्' से आशय है - राज्य की विधायिका द्वारा गठित झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्।
- vi. 'कार्यपालक निदेशक' यानी परिषद् के सदस्य सचिव, जिनकी नियुक्ति राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम द्वारा सुनिश्चित प्रावधानों के तहत हो।
- vii. 'सरकार' का आशय है झारखण्ड सरकार।
- viii. 'उच्च शिक्षा' का अर्थ है - व्यवसायिक, तकनीकी या अन्य तरीके से डिग्री या डिप्लोमा के रूप में विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में प्राप्त शिक्षा।

- ix. 'संस्थान' यानी ऐसे संस्थान, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत/प्रस्तावित किये गये हों।
- x. 'सदस्य' से आशय राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के सदस्य जिनमें परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।
- xi. एम0आइ0एस0(प्रबंधन सूचना तंत्र) से आशय है कार्यक्षमता एवं प्रभावी रणनीतिक निर्णय लेने हेतु प्रबंधन का सूचना तंत्र।
- xii. 'एन ए ए सी' से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, जिसकी स्थापना विशिष्ट उच्च शिक्षण संस्थानों की 'गुणवत्ता स्थिति' के श्रेणी-निर्धारण के लिए की गयी है।
- xiii. 'निजी विश्वविद्यालय' से आशय है - राज्य के वैसे विश्वविद्यालय, जिनकी स्थापना "झारखण्ड राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमीकरण के लिए आदर्श मार्गदर्शन" के अनुरूप हुई हो।
- xiv. 'नियमनों' का अर्थ है वैसे नियमन जो राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा बनाये गये हों।
- xv. 'नियम' का अर्थ है वैसे नियम जो राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा निर्मित हों।
- xvi. 'राज्य विश्वविद्यालयों' से आशय है - राज्य सरकार द्वारा संचालित, प्रबंधित और नियंत्रित विश्वविद्यालय।
- xvii. 'परिनियम', 'अध्यादेश', 'नियमन' से आशय है विश्वविद्यालय के वैसे परिनियमों, अध्यादेशों और नियमनों से जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध अधिनियम के अनुरूप जारी किये गये हों।
- xviii. तकनीकी विश्वविद्यालय का अर्थ वैसे विश्वविद्यालय से है, जिनकी स्थापना तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के परामर्शी, उद्यमशीलता, सतत् शिक्षा कार्यक्रमों, स्वायत्त महाविद्यालयों/संस्थानों और सम्बद्ध अंगीभूत एवं निजी महाविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से समाज में मूल्य निर्माण एवं सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की गई हो।
- xix. 'उपाध्यक्ष' यानी राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम के अनुसार नियुक्त उपाध्यक्ष।

3. परिषद् का संविधान:-

- i. सरकार अधिसूचना के द्वारा, उस तिथि के प्रभाव से जो इसमें उल्लिखित हो, परिषद् संस्थापित करेगी, जिसे झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् कहा जाएगा।
- ii. परिषद् एक ऐसी सम्मिलित निकाय संस्था होगी जो सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा के तहत तथाकथित एक नाम के साथ संचालित होगी जिसे वाद चलाने का अधिकार होगा और जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा।
- iii. प्रावधानों के अनुरूप परिषद् को चल और अचल सम्पत्ति ग्रहण करने और उस पर आधिपत्य रखने का अधिकार होगा और इस प्रावधान के अंतर्गत निर्मित कानून के अनुरूप इसकी सम्पत्ति को हस्तांतरित करने या ठेके पर देने तथा ऐसा कोई भी कार्य करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो।

iv. परिषद् का मुख्यालय राँची में अवस्थित होगा।

4. परिषद् के उत्तरदायित्व और कार्य:-

i. परिषद् के निम्नलिखित उत्तरदायित्व एवं कार्य होंगे:-

- राज्य की सरकार, सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को सुझाव/परामर्श देना;
- राज्य के अंतर्गत उच्च शिक्षा में सरकार, सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों एवं शीर्ष नियामक अभिकरणों की भूमिकाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना;
- अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें उच्च शिक्षा की सामान्य सुविधाएँ मुहैया कराना;

ii. उपर्युक्त दायित्वों और कृत्यों के प्रोत्साहन के लिए परिषद् को निम्नलिखित उत्तरदायित्व लेने होंगे:-

- सरकार के सुझाव या विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान लेकर राज्य में उच्च शिक्षा के विकास हेतु 'राज्य उच्च शिक्षा योजना' (SHEP) प्रतिपादित एवं प्रस्तुत करना;
- राज्यकीय संस्थानों तथा संबद्ध संस्थानों को उनकी योजनाओं के प्रतिपादन की प्रस्तुति एवं अमल के लिए यथेष्ट सहायता उपलब्ध कराना;
- राज्य उच्च शिक्षा योजना (SHEP) के अमल की प्रक्रिया का अनुश्रवण ;
- नियतकालिक सांख्यिकी का राज्य एवं संस्थागत स्तर पर एकत्रीकरण एवं उनका अनुरक्षण ;
- प्रबंधन सूचना तंत्र (MIS) का सृजन एवं अनुरक्षण ;
- राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षा अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा विकसित मानदण्डों के आधार पर संस्थाओं का मूल्यांकन करना ;
- परिवर्तित हो रहे सामाजिक परिदृश्य एवं अकादमिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव देना एवं उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखना ;
- परीक्षाओं की गुणवत्ता का सुनिश्चयन और परीक्षाओं में सुधार हेतु सुझाव देना ;
- शोध और शिक्षा प्राप्ति (अधिगम प्रक्रिया) के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना ;
- राज्य के संस्थानों की स्वायत्तता को संरक्षित करना और राज्य के विश्वविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशों और नियमनों का समय-समय पर पुनरीक्षण तथा शिक्षा में सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता के कार्यान्वयन हेतु समुचित

सुधार के लिए सुझाव एवं विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को परिनियमों, अध्यादेशों एवं नियमनों के निर्माण में परामर्श देना;

- (k) उच्च शिक्षा के नये संस्थानों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करना ;
- (l) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से विमर्श कर प्रत्यायन हेतु सुधार के उपाय सुझाना ;
- (m) उच्च शिक्षा में रणनीतिक निवेश हेतु राज्य सरकार को सलाह ;
- (n) राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों और देश के भीतर एवं बाहर के संस्थानों के बीच अकादमिक प्रकृति से संबद्ध कार्यों हेतु मार्गदर्शिका विकसित करना ;
- (o) इस अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप निधि का निर्माण एवं उपयोगिता हेतु प्रस्ताव तैयार करना ;
- (p) सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिकृत किसी अभिकरण के द्वारा प्रदत्त अनुदान की विमुक्ति के लिए सामान्य नियमावली का विकास तथा राज्य उच्च शिक्षा योजना (SHEP) के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को निधि आवंटित करना ;
- (q) उद्दिष्ट निधि का राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को ससमय निधि अंतरण हेतु प्रणाली विकसित करना ;
- (r) उच्च शिक्षा में नीति-निर्धारण और उन्हें समुचित सुसाध्य बनाने हेतु विशेषज्ञों तथा स्टेकहोल्डर के व्यापक संभावित परामर्श प्राप्त करने के लिए विचार-विमर्श, कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना ;
- (s) अकादमी, उद्योग, कृषि एवं विज्ञान-क्षेत्र के बीच पारस्परिक तालमेल हेतु मंच उपलब्ध कराना ;
- (t) केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं भारत के केन्द्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष नियामक संस्थाओं के द्वारा प्रायोजित और उद्यमित विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वयन करना।

5. परिषद् का गठन:-

परिषद् निम्नलिखित सदस्यों के योग से बनेगा, यथा -

- i. अध्यक्ष
- ii. उपाध्यक्ष
- iii. राज्य परियोजना निदेशक (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान), जो परिषद् के कार्यकारी निदेशक (सदस्य सचिव) होंगे।
- iv. प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

- v. कुलाधिपति द्वारा पाँच वैसे सदस्य मनोनीत किये जाएंगे जिनकी विद्वता अनुसरणीय हो, इनमें कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नागरिक समाज, उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्र के एक-एक सदस्य होंगे।
- vi. सरकार द्वारा पाँच वैसे सदस्य मनोनीत किये जाएंगे जिनकी विद्वता अनुसरणीय हो, इनमें कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नागरिक समाज, उद्योग, व्यावसायिक क्षेत्र के एक-एक सदस्य होंगे।
- vii. राज्य विश्वविद्यालयों के तीन कुलपति, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए चक्रानुक्रमानुसार मनोनीत किये जाएंगे।
- viii. राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय के एक कुलपति।
- ix. राज्य में स्थापित तकनीकी विश्वविद्यालय के एक कुलपति।
- x. स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रमानुसार मनोनीत होंगे।
- xi. अनुसरणयोग्य विद्वतापूर्ण ख्याति के तीन सदस्य परिषद् द्वारा सहयोजित किये जाएंगे।
- xii. भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक प्रतिनिधि का मनोनयन किया जाएगा।

6. अध्यक्ष:-

- i. अध्यक्ष अधिमानतः प्रभावी नेतृत्वकारी गुणों से युक्त श्रेष्ठ अकादमिक या बौद्धिक ख्याति के होंगे।
- ii. राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा गठित तीन सदस्यीय तलाश-सह-चयन समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा व चयन के आधार पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता से बनी समिति अध्यक्ष का चयन करेगी। परिषद् प्रामाणिक अकादमिक/बौद्धिक ख्याति के दो सदस्यों को मनोनीत करेगी जबकि सरकार एक व्यक्ति का तलाश-सह-चयन समिति में मनोनयन करेगी। सरकार द्वारा नामजद प्रतिनिधि समिति की अध्यक्षता करेगा।
- iii. अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे।
- iv. अध्यक्ष का कार्यकाल विस्तार-रहित पाँच साल के लिए होगा अथवा वे 70 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लें, इनमें से जो भी पहले हो।
- v. अध्यक्ष को उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई के स्पष्ट बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मतदान से तथा तीन चैथाई सदस्यों के कोरम के साथ पदमुक्त किया जा सकेगा।
- vi. अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे परिषद् के लिए किसी उपयुक्त मामले पर प्रतिवेदन की मांग कर सकते हैं और परिषद् की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं।
- vii. अध्यक्ष परिषद् और कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

viii. अध्यक्ष को देय वेतनमान एवं भत्ते विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतनमान एवं भत्ते के समतुल्य होंगे। यदि वे सेवानिवृत्त व्यक्ति होंगे तो उनके वेतन से पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

7. उपाध्यक्ष:-

- i. उपाध्यक्ष श्रेष्ठ प्रमाणित उच्चमान अकादमिक प्रशासक होंगे। यदि उपाध्यक्ष गैर अकादमिक व्यक्ति हो, तो उन्हें उद्योग आदि क्षेत्र का पेशेवर होना चाहिए, जिन्हें अपने कार्यक्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो (निदेशक के पद से नीचे का न हो)।
- ii. सरकार उपाध्यक्ष की नियुक्ति तलाश समिति (सर्च कमिटी) की अनुशंसा पर करेगी। यह कमिटी परिषद् के अध्यक्ष (बतौर अध्यक्ष) और दो अन्य सदस्यों के योग से गठित होगी, जिनमें से एक सदस्य परिषद् द्वारा मनोनीत होगा तो दूसरा सरकार के द्वारा।
- iii. उपाध्यक्ष का एक कार्यकाल विस्तार-रहित पाँच वर्षों का होगा अथवा वे 70 वर्ष की आयु के हो जाएँ।
- iv. उपाध्यक्ष को अध्यक्ष अथवा परिषद् की अनुशंसा के द्वारा हटाया/पदमुक्त किया जा सकेगा।
- v. उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- vi. उपाध्यक्ष को देय वेतनमान एवं भत्ते विश्वविद्यालय प्रोफेसर के समतुल्य होंगे। यदि वे सेवानिवृत्त व्यक्ति होंगे तो उनके वेतन से पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

8. कार्यपालक निदेशक:-

- i. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक ही परिषद् के पदेन कार्यपालक निदेशक होंगे।
- ii. कार्यपालक निदेशक परिषद् के सदस्य सचिव होंगे और परिषद् के कार्यों के संयोजन का दायित्व वहन करेंगे।
- iii. कार्यपालक निदेशक उन कृत्यों को भी सम्पन्न करेंगे, जो समय-समय पर उन्हें आदेशित किये जाएंगे।

9. परिषद् के पदाधिकारी:-

परिषद् के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, यथा:-

- i. अध्यक्ष
- ii. उपाध्यक्ष
- iii. कार्यपालक निदेशक (सदस्य सचिव)
- iv. प्रशासनिक पदाधिकारी
- v. वित्त पदाधिकारी

10. प्रशासनिक पदाधिकारी:-

- i. प्रशासनिक पदाधिकारी परिषद् के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे और ये विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्त व्यक्ति होंगे।
- ii. प्रशासनिक पदाधिकारी किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण अनुभव रखनेवाले होंगे तथा उन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का पाँच वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए।
- iii. प्रशासनिक पदाधिकारी परिषद् द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।
- iv. प्रशासनिक पदाधिकारी सामान्य प्रशासन के प्रभारी होंगे और अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों व दायित्वों का निष्पादन करेंगे।
- v. प्रशासनिक पदाधिकारी अपने पैतृक विश्वविद्यालय से प्राप्त होनेवाले वेतन तथा भत्तों के अलावा प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्ति के हकदार होंगे।

11. वित्त पदाधिकारी:-

- i. वित्त पदाधिकारी परिषद् के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे।
- ii. वित्त पदाधिकारी के लिए कम से कम 15 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव होगा तथा उनके लिए वित्तीय प्रशासन, लेखा, अंकेक्षण और बजटीय प्रक्रिया की बेहतर जानकारी अपेक्षित होगी।
- iii. वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति परिषद् द्वारा की जाएगी।
- iv. वित्त पदाधिकारी लेखा विभाग के प्रभारी तथा परिषद् के लेखा जोखा में निपुणता हेतु उत्तरदायी होंगे और वे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित व प्रदत्त शक्तियों तथा दायित्वों का निष्पादन करेंगे।
- v. वित्त पदाधिकारी अपने पैतृक विश्वविद्यालय से प्राप्त होनेवाले वेतन तथा भत्तों के अलावा प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने के हकदार होंगे।

12. राज्य परियोजना निदेशालय:-

राज्य सरकार के द्वारा राज्य परियोजना निदेशालय का गठन किया जायेगा:

- i. गठन: राज्य परियोजना निदेशालय में एक राज्य परियोजना निदेशक होंगे तथा जैसा उपयुक्त हो, आवश्यकतानुसार सहायक कर्मियों के संयोग से निदेशालय के प्रभावी संचालन हेतु राज्य परियोजना निदेशालय का गठन किया जाएगा।
- ii. कार्य: राज्य परियोजना निदेशालय निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा:-
 - राज्य स्तरीय परियोजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण।
 - सांख्यिकी आंकड़ों तथा प्रबंधन सूचना तंत्र के प्रतिवेदन की देख-रेख।
 - आवश्यकतानुसार परियोजना अंकेक्षकों की सेवा लेना।

13. तकनीकी सहायता समूह:-

- i. राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विशेषज्ञों से युक्त एक तकनीकी सहायता समूह की नियुक्ति कर सकेगी।
- ii. तकनीकी सहायता समूह के संघटन का निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा।
- iii. तकनीकी सहायता समूह के कार्य होंगे:-
 - a) सूचना तथा कोष के प्रवाह की देखरेख,
 - b) सामान्य प्रबंधन सूचना तंत्र की रिपोर्ट आवश्यकतानुसार तैयार करना तथा
 - c) परिषद् को संचालन हेतु सहायता प्रदान करना।

14. मनोनीत सदस्यों के लिए शर्तें व बंधेज:-

- i. मनोनीत व सामंजित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः छह वर्षों का होगा, परंतु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और रिक्त पदों पर भर्ती कुलाधिपति द्वारा की जाएगी अगर निवृत्त होने वाले सदस्य कुलाधिपति द्वारा मनोनीत हैं, और अगर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य निवृत्त हो रहे हैं तो सरकार सदस्यों की नियुक्ति करेगी और यदि परिषद् द्वारा सहयोजित सदस्य निवृत्त होंगे तो परिषद् उनकी जगह पर नये सदस्यों का सहयोजन करेगी।
- ii. किसी भी अवस्था में परिषद् के बीस सदस्य राज्य के होंगे तथा अन्य पाँच व्यक्ति राष्ट्रीय ख्याति के होंगे (राज्य के बाहर के)।
- iii. मनोनीत और सहयोजित सदस्य लिखित रूप में परिषद् के अध्यक्ष को अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकते हैं पर उनकी सदस्यता तब बनी रहेगी जब तक कि उनका इस्तीफा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत नहीं किया जाता है।
- iv. मनोनीत तथा सहयोजित सदस्य निर्धारित दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक शुल्क के हकदार होंगे।
- v. इस सेवा के अन्य शर्त एवं बंधेज इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगे।

15. अयोग्यता:-

- i. कोई भी व्यक्ति मनोनयन के योग्य नहीं होंगे अथवा परिषद् की सदस्यता बनाये नहीं रख सकेंगे, यदि उस समय वे -
 - (a) मानसिक रूप से अस्वस्थ हों;
 - (b) ऋण न चुकाने की वजह से सजायाफ्ता हों;
 - (c) किसी फौजदारी अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए सश्रम कारावास की सजा पा चुके हों, इसके साथ ही नैतिक चरित्रहीनता के दोषी पाये गये हों;

- (d) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या उनके सहयोगी की परिषद् के किसी काम में हिस्सेदारी अथवा स्वार्थ निहित हो अथवा परिषद् की ओर से जारी किसी संविदा में उनकी संलिप्तता पायी जाय;
- (e) कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी और विश्वविद्यालय की सेवा से दुर्यवहार अथवा लापरवाही की वजह से हटाया गया हो;
- ii. किसी भी विवाद या संदेह की अवस्था में कि कोई व्यक्ति उप अनुच्छेद (i) के अधीन अयोग्य है तो उस मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- iii. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक न हो, परिषद् की सदस्यता के लिए इस अधिनियम के अधीन मनोनयन का पात्र नहीं होगा।

16. परिषद् की बैठक:-

- i. परिषद् की बैठक नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर होगी, किन्तु तीन महीने में एक बैठक अवश्य होगी।
- ii. परिषद् को समुचित निर्णय लेने का अधिकार अगर परिषद् की बैठक में किसी सदस्य की रिक्तता का विरोध करना पड़े अथवा गठन में किसी प्रकार की त्रुटि हो और यह जानते हुए भी परिषद् की कार्यवाही वैध होगी कि परिषद् की कार्यवाही में कोई व्यक्ति, जो सदस्य होने का अधिकारी न हो और वह बैठक में शामिल हो चुका हो या परिषद् की कार्यवाही में भाग ले चुका हो।
- iii. परिषद् की बैठक का संयोजन अध्यक्ष के परामर्श से कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाएगा।
- iv. परिषद् की बैठक का कोरम इसके कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई होगा और उपस्थित सदस्यों के मतदान और सामान्य बहुमत से निर्णय लिये जा सकेंगे।

17. परिषद् के कर्मियों:-

परिषद् आवश्यकतानुसार कर्मियों की नियुक्ति करेगा जिससे कि उसके कार्यों का संचालन सुचारु ढंग से हो सके। परिषद् के कर्मियों की सेवा शर्त एवं बंधेज विनियमों के तहत निर्धारित होंगे।

18. परिषद् की निधि:-

- i. परिषद् की निधि में वो सभी धनराशियाँ होंगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा प्रदत्त हों और अन्य प्राप्तियाँ जो केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकार, संस्थान या व्यक्ति द्वारा दी गयी हो।
- ii. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार परिषद् को उतनी धनराशि उपलब्ध कर सकती है जो इसके सफल संचालन और जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी हो।
- iii. इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये सारे व्यय निधि की राशि से चुकाये जाएंगे और यदि कोई अतिरिक्त राशि व्यय के बाद बची हो तो वर्णित प्रावधानों के अनुसार उसे निवेशित किया जाएगा।

19. वार्षिक लेखा और अंकेक्षण:-

- i. परिषद् की लेखा विवरणी निर्धारित मानदण्डों व प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी।
- ii. परिषद् वार्षिक लेखा का विवरण निर्धारित स्वरूप और तरीके से नियमानुसार तैयार करेगी।
- iii. परिषद् के लेखा का अंकेक्षण वर्ष में एक बार सरकार की ओर से नियुक्त अथवा प्रतिनियुक्त अंकेक्षक द्वारा कराया जाएगा।
- iv. परिषद् के कार्यकारी निदेशक वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन मुद्रित रूप में तैयार करेंगे और उस प्रतिवेदन को परिषद् के समक्ष अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।
- v. परिषद् अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शायी गयी किसी भी त्रुटि अथवा अनियमितता को दूर करने हेतु समुचित कार्यवाही करेगी।
- vi. अंकेक्षक अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन को परिषद् की टिप्पणी के साथ सत्यापित करते हुए निर्धारित समयावधि में सरकार को अनुशंसित करेंगे।

20. वार्षिक प्रतिवेदन:-

इस अधिनियम के अधीन परिषद् प्रतिवर्ष अपनी वर्ष भर की गतिविधियों का प्रतिवेदन तैयार करेगी तथा सरकार को यह प्रतिवेदन सौंपेगी।

21. परिषद् के सदस्य व कर्मी सरकारी सेवक होंगे:-

परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के द्वारा जारी किये गये किसी प्रावधान अथवा नियम अथवा विनियम या आदेश या निर्देश के अनुरूप कार्यरत होंगे, उनका निष्पादन करेंगे तो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम XLV) के अनुच्छेद 21 के आशयानुसार सरकारी सेवक समझे जाएंगे अथवा सरकारी सेवक समझे जाने के दावेदार होंगे।

22. विनियम बनाने की शक्ति:-

परिषद् सरकार द्वारा अग्रिम अनुमोदन प्राप्त कर विनियम बना सकेगी किंतु इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों अथवा इसके उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से वह असंगत न हो।

23. नियम बनाने की शक्ति:-

- i. सरकार, अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के संपूर्ण अथवा किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी।
- ii. इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम को यथाशीघ्र राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जब सत्र का पूर्ण काल चौदह दिनों की कुल अवधि का हो जो कि एक सत्र अथवा दो लगातार सत्रों में हो, और अगर, इस सत्र की समाप्ति के पहले जिसमें इसे पेश किया जाता है या जो सत्र ठीक इसके बाद आता है, विधानसभा कानून में कोई संशोधन करती है या फैसला किया

जाता है कि कानून नहीं बनना चाहिए तो वह (कानून) संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा अन्यथा निष्प्रभावी होगा जैसा मामला हो, हालांकि इस तरह का कोई संशोधन या विलोपन कानून के तहत किये गये कार्य की वैधता के प्रति पूर्वाग्रह से रहित होगा।

24. अड़चनों/बाधाओं को दूर करने की शक्ति:-

- i. इस अध्यादेश के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो सरकार आदेश के द्वारा स्थिति की आवश्यकतानुसार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो, और अड़चन को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत होता हो।
- ii. उप-अनुच्छेद (1) के अंतर्गत निर्गत किये गये प्रत्येक आदेश को इसे बन जाने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना

25 मई, 2016

संख्या-एल0 जी0-12/2016-104/लेज-- झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-11 मई, 2016 को अनुमत झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

The Jharkhand State Higher Education Council Act, 2016

(Jharkhand Act-17,2016)

PREAMBLE

An Act to make suitable provisions for enforcing & planning, monitoring and evaluation, quality assurance, advisory and funding functions in Universities and other Technical Higher Educational institutions of the state.

Whereas it is expedient to establish a State Higher Education Council as a collective of Government, Universities, Academics and Experts in order to forge a synergetic relationship among them by occupying an operational space in between the Government and Universities and between Universities and apex level regulatory bodies with the object of (i) promoting academic excellence and social justice by the Government in policy formulation and perspective planning, (ii) ensuring the autonomy, accountability and coordination

among all institutions of higher education in the state, and (iii) guiding the harmonious growth of higher education in accordance with the socio-economic requirement of the state.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Seventh Year of Republic of India as follows.

1. Short title, extent, and commencement -

- (i) This Act may be called the Jharkhand State Higher Education Council Act, 2016.
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (iii) It shall come into force on such date the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Definitions - In this Act unless the context otherwise required:-

- (i) 'Council' means the Jharkhand State Higher Education Council established by State Legislature.
- (ii) 'Higher Education' means education, whether professional, technical, or otherwise leading to the obtaining of any degree or diploma from the University.
- (iii) 'State Universities' means the Universities run, managed and controlled by the State Government.
- (iv) 'Private Universities' means University in the state established according to the "Model Guidelines for the establishment and incorporation of Private Universities in the State of Jharkhand".
- (v) 'Technical University' means University established with the objectives for value creation and welfare in society through technical education and training, research, innovation, public and private sector consultancy, entrepreneurship, continuing education programmes,' autonomous Colleges/Institution and affiliating constituent and private Colleges/Institutions.
- (vi) 'Affiliated Institutions' means the institutions which are run and controlled by their own Governing Bodies.
- (vii) 'Institution' means an institution with offers various kinds of courses or training programme.
- (viii) 'Member' means a member of the State Higher Education Council and includes the Chairman and Vice-Chairman.
- (ix) 'Chairman' means the Chairman of the Council appointed as per State Higher Education Council Act.
- (x) 'Vice-Chairman' means the Vice-Chairman of the Council appointed as per State Higher Education Council Act.
- (xi) 'Executive Director' means Member Secretary of the Council appointed under the provisions laid down by State Higher Education Council Act.
- (xii) 'Government' means the Government of Jharkhand.
- (xiii) 'Apex Regulatory Institutions' means the regulatory Institutions created by the Act of Parliament for the governance of institutions of a particular nature.
- (xiv) 'Statutes', 'Ordinances', 'Regulations' of a university means the Statutes, the Ordinances, and the Regulations issued under the respective Acts of a University.
- (xv) 'Regulations' of the Council means the regulations made by the State Higher Education Council,
- (xvi) 'Rules' means the rules made by the State Higher Education Council,

- (xvii) 'AISHE' means the All India Survey on Higher Education initiated by the Ministry of Human Resource Development, Government of India,
- (xviii) 'NAAC' means the National Assessment and Accreditation Council, established for rating the "quality status" of a particular higher education institution.
- (xix) 'MIS'(Management Information System) means management information systems to provide efficiency and effectiveness of strategic decision making.

3. Constitution of the Council:

- (i) The Government may by notification, constitute, with effect from such date as may be specified therein, a council to be called the Jharkhand State Higher Education Council.
- (ii) The Council shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall by that name sue and be sued.
- (iii) The Council shall have the power to acquire and hold, both movable and immovable property and subject to the provisions of this Act, and the rules made there under to transfer any property held by it and to contract and to do all other things necessary for the purpose of this Act.
- (iv) The headquarter of the council shall be located at Ranchi.

4. Responsibilities and functions of the Council:

- (i) The Council shall have the following responsibilities and functions, namely:-
- (a) To render advice to the Government, State Universities, Private Universities, and other institutions of higher education in the state;
- (b) to coordinate the roles of the Government, State Universities, Private Universities, and Apex Regulatory Agencies in higher education within the state;
- (c) to provide common facilities in higher education without impairing upon the autonomy of other institutions of higher education;
- (ii) For the furtherance of the above responsibilities and functions, the Council shall specifically undertake the following:-
- (a) formulate and evolve State Higher Education plan (SHEP) for the development of higher education, *suomoto* or on the suggestion from Government or request from State Universities or other Institutions;
- (b) provide support to State Institutions and affiliated institutions for formulation production of their plans and implementing them;
- (c) monitor the implementation of State Higher Education Plan;
- (d) compile and maintain periodic statistics at state and institutional level and assist in All India Survey on Higher Education (AISHE);
- (e) create and maintain Management Information system; (MIS);
- (f) evaluate Institutions on the basis of norms developed by national level higher education agencies;
- (g) suggest improvements in curriculum and syllabus accordance with the changing societies and academic requirements and maintain quality of curriculum;
- (h) to ensure quality of examinations and suggest reforms in examination;
- (i) undertake necessary steps for establishing inter-linkage between research and learning process;

- (j) protect the autonomy of state institutions and review periodically the statutes, ordinances and regulations of the Universities in the state and suggest appropriate improvement for the realization of the objects of social justice and academic excellence in education, and advise the universities or other institute of higher education on statute, ordinance or regulation formulation;
- (k) provide approval to setting up new institutions of higher education;
- (l) suggest accreditation reforms measures in consultation with National Assessment and Accreditation Council (NAAC);
- (m) advise state government on strategic investments in higher education;
- (n) evolve guidelines for linkages of an academic nature between higher education institutions in the State and institutions within and outside the country;
- (o) make proposals for the generation and utilization of funds with the objective of this Act;
- (p) evolve general guidelines for the release of grants by the Government or any agency authorized by the government and disburse funds to the universities and colleges on the basis of State Higher Education Plan (SHEP);
- (q) evolve methodology for timely transfer of the funds earmarked for the State Universities and other institution of higher education;
- (r) hold discussions, conduct workshops, seminars with the objective of facilitating the widest possible consultancies with experts and stakeholders for formulating the polices and on higher education and facilitating them proper implementation;
- (s) provide a forum for the interaction among the academy, industries, agriculture and science sectors,
- (t) co-ordinate various programmes being promoted and undertaken by Central and State Government and national level apex regulatory bodies in the territory of India.

5. Composition of the council.

The Council shall consist of the following members, namely:

- (i) The Chairman
- (ii) The Vice Chairman
- (iii) Executive Director (Member Secretary)
- (iv) The Principal Secretary, Department of Higher & Technical Education;
- (v) Five members to be nominated by the Chancellor who are persons of scholarly pursuit, one each belonging from the field of art& culture, science& technology, civil society, industry, and vocational field.
- (vi) Five members to be nominated by the Government who are persons of scholarly pursuit, one each belonging from the field of art& culture, science& technology, civil society, industry, vocational field.
- (vii) Three Vice-Chancellors of the state universities to be nominated by the Chancellor in rotation of three years.
- (viii) One Vice Chancellor of Private University established in the State.
- (ix) One Vice Chancellor of Technical University established in the State.

- (x) Two Principals of Autonomous Colleges to be nominated by the Chancellor in rotation of two years.
- (xi) Three members co-opted by the Council who are persons of scholarly pursuit.
- (xii) One nominee of the Government of India to be nominated by the Ministry of Human Resource Development.

6. The Chairman:

- (i) The Chairman will be preferably an eminent academic or public intellectual with proven leadership qualities.
- (ii) The Chairman will be selected by a committee consisting of Chief Minister, Speaker of the Legislative Assembly, Leader of the Opposition, on the basis of recommendation of short-listed candidates made by a three-member search-cum-selection committee constituted by the State Higher Education Council. The Council shall nominate two eminent academic / public intellectual with proven record while the State will nominate one person. The State nominee will chair.
- (iii) The Chairman shall be appointed by the Government as whole time officer.
- (iv) The Chairman will have a non-extendable term of five years or till he attains an age of 70 years whichever is earlier.
- (v) The Chairman may be removed through a vote of non-confidence expressed by at least two-third members present and voting with a quorum of three-fourth members.
- (vi) The Chairman shall have the right to call for report on any matter pertaining to the affairs of the council and offer suggestions for the improvement of the functioning of the Council.
- (vii) The Chairman shall preside over the meetings of the Council and the Executive Committee.
- (viii) The salaries and allowances payable to the Chairman shall be the same as that of Vice-Chancellor of University. If he is a retired person, his pay shall be reduced to that of his pension.

7. The Vice Chairman:

- (i) The Vice Chairman shall be an eminent academic administrator with proven record. In case of non-academic person, the Vice Chairman could be a professional from industry etc. with sufficient experience in the sector.
- (ii) The Government will appoint the Vice Chairman on the recommendation of a Search Committee consisting of Chairman of the Council (as Chair) and two other members, one nominated by the Council and one by the Government.
- (iii) The Vice-Chairman will have one non-extendable term of five years or till he attains an age of 70 years.
- (iv) The Vice-Chairman may be removed by the Chairman or by the recommendation of the Council.
- (v) The Vice Chairman shall preside over the meetings of the Council in the absence of the Chairman.
- (vi) The salaries and allowances payable to the Vice Chairman shall be the same as that of a Professor of a University. If he is retired person, his pay shall be reduced to that of his pension.

8. The Executive Director:

- (i) The State Project Director of Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan will be *ex officio* Executive Director of the Council.
- (ii) The Executive Director will be the Member Secretary of the Council and shall be responsible for coordination of the functioning of the council,
- (iii) The Executive Director shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.

9. Officers of the Council:

The following shall be the officers of the Council namely:-

- i. The Chairman
- ii. The Vice Chairman
- iii. The Executive Director,
- iv. Administrative Officer
- v. Finance Officer

10. Administrative Officer:

- (i) The Administrative Officer shall be a whole-time officer of the Council and will be a person on deputation from University.
- (ii) The Administrative Officer shall be a person having at least fifteen years experience in teaching in a college or post graduate department of university and at least five years experience in University administration.
- (iii) The Administrative Officer shall be appointed by the Council.
- (iv) The Administrative Officer shall be in charge of general administration and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Chairman.
- (v) The Administrative Officer shall be entitled to receive deputation allowance over and above his pay and allowances which he was drawing in his parent University.

11. Finance Officer:

- (i) The Finance Officer shall be a whole-time officer of the Council and will be a person on deputation from University.
- (ii) The Finance Officer shall be a person having fifteen years of teaching experience and financial administration, and sound knowledge of accountancy, auditing and budgetary procedures.
- (iii) The Finance Officer shall be appointed by the council.
- (iv) The Finance Officer shall be In-charge of Accounts Department and will be responsible for maintaining the accounts of the council and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him/her by the Chairman.
- (v) The Finance Officer shall be entitled to receive deputation allowance over and above his pay and allowances which he was drawing in his parent University.

12. State Project Directorate (SPD):

The State Government will constitute a State Project Directorate with following composition.

- (i) Composition: The SPD will consist of State Project Director and such adequate support staff as may be required for the effective functioning of the State Project Directorate.
- (ii) Functions: The SPD will perform the following functions-
 - * Overseeing project implementation at the State level;
 - * Maintain statistical data and MIS report; and
 - * Engage Project Auditors as required.

13. Technical Support Group:

- (i) The State Higher Education Council may appoint a Technical Support Group consisting of experts.
- (ii) The composition of the Technical Support Group will be decided by the Council.
- (iii) The function of the Technical Support Group will be to (a) monitor flow of funds and information, (b) generate MIS reports as required, and (c) provide operational support to the Council.

14. Terms and Conditions of nominated members:

- (i) Each nominated and co-opted member will normally have a term of six years, provided that one - third of the members will retire every two years on the basis of age, and the vacancy will be filled by the Chancellor, if the retiring member is Chancellor's nominee, or by the Government, if the retiring member is a Government nominee, or by the council, if the retiring member is a co-opted member.
- (ii) At any point of time, twenty members of the Council should be from the state and five members must be individual of national eminence (outside the State).
- (iii) The nominated and co-opted member may by writing under his hand addressed to the Chairman of the Council resign his membership but he/she shall continue to remain member until his/her resignation is accepted in writing by the Chairman of the council.
- (iv) The nominated and co-opted member shall be eligible for such rate of travelling allowance, daily allowance and sitting fee as may be prescribed.
- (v) Subject to the provision of this section the other terms and condition of the service shall be such as may be prescribed.

15. Disqualifications

- (i) No person shall be qualified for nomination or to continue as a member of the Council, if on the date of such nomination he is:
 - (a) of unsound mind;
 - (b) adjudicated as an un-discharged solvent;
 - (c) sentenced by a criminal court to imprisonment for any offence involving moral turpitude;
 - (d) directly or indirectly by himself or his partner has any share or interest in any work done by order of, or in any contract entered into on behalf of the council;
 - (e) a person who has been terminated from any Government or University Services on grounds of misconduct or negligence.
- (ii) In case of dispute or doubt as to whether a person is disqualified under sub-section (1) the decision of the Chairman shall be final.

- (iii) Save as otherwise pointed in this Act, no person who is not a graduate of any University established by law shall be eligible for nomination as a member of the council under this Act.

16. Meeting of Council:

- (i) The Council shall meet as often as may be necessary at such time and place and observe such rules of procedures as may be provided in regulation, but it shall meet at least once in three months.
- (ii) It shall have the power to act, notwithstanding any vacancy in the membership or any defect in the constitution thereof, and the proceedings of the council shall be valid notwithstanding that some person, who was not entitled to be a member, had attended, or otherwise had taken part in the proceedings of the council.
- (iii) The meeting of the Council shall be convened by the Executive Director on the advice of the Chairman.
- (iv) The quorum of the meeting of the council shall be one third of the total members of the council and division may be taken in the meetings by simple majority of those present and voting.

17. Staff of Council:

The Council shall appoint such number of employees as may be necessary for the efficient performance of its functions. The terms and conditions of service of the employees of the council shall be such as may be provided in the regulations.

18. Funds of the Council:

- (i) The funds of the Council shall include all sums which may, from time to time, be paid to it by the Government and all other receipts including any sum from the Central Government, or any other authority, institutions or persons.
- (ii) The Government may pay to the Council every financial year such sums as may be considered necessary for the functioning of the council and for the discharge of its responsibilities and duties.
- (iii) All expenditure incurred by the Council under or for the purposes of this Act shall be defrayed from out of the fund and any surplus remaining, after such expenditure has been met, shall be invested in such manner as may be prescribed.

19. Annual Accounts and Audit:

- (i) The accounts of the Council shall be maintained in such manner and in such form as may be prescribed,
- (ii) The Council shall prepare an annual statement of accounts in such form and in such manner as may be prescribed,
- (iii) The accounts of the Council shall be audited once in a year by such auditor as the Government may appoint or depute in this behalf,
- (iv) The Executive Director to the Council shall cause the annual audit report to be printed and shall place such report before the council for consideration at its next meeting,
- (v) The Council shall take appropriate action forthwith to remedy any defect or irregularity that may be pointed out in the audit report,

- (vi) The accounts of the Council as certified by the auditor together with the audit report along with the remarks of the Council there on shall be forwarded to the Government within such time as may be prescribed.

20. Annual Report:

The Council shall prepare for every year a report of its activities under this Act during that year and submit the report to the Government.

21. Members and Staff of the Council to be public servants:

The Chairman, Vice Chairman, Executive Director, Member, Officers and Staff of the Council shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any provisions of this Act or any rule or regulations or order or direction made or issued under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act XLV of 1860).

22. Power to make regulations:

The Council with prior approval to the Government may make regulations not inconsistent with the provisions of this Act and rules made there under for carrying out all or any of the purposes of this Act.

23. Power to make rules:

- (i) The Government may, by notification, make rules, for carrying out all or any purposes of this Act.
- (ii) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the state legislature whole it is a session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislature Assembly makes any amendment in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such form as amended or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such amendment or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

24. Power to remove difficulties:

- (i) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, as occasion may require, do nothing not inconsistent with the provisions of this Act which appears to them to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.
- (ii) Every order issued under the sub section (1) shall, as soon as may be after it is made laid before the legislative Assembly.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।
